भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4034

25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता

4034. श्री दुलू महतो:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा झारखंड के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और लघु इस्पात उत्पादकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में किस प्रकार सहायता किए जाने की संभावना है;

(ग) भावी नीतियों में ग्रीन स्टील और संवहनीयता को किस प्रकार शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा झारखंड सहित देश के एमएसएमई, छोटे इस्पात उत्पादकों की सहायता के लिए कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता और उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. 'मेड इन इंडिया' स्टील का संवर्द्धन एवं निवेशों को बढ़ाना:

   क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

   ख. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।

   ग. केंद्रीय बजट में अवसंरचना विस्तार पर जोर दिया गया है जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

जारी...2/-

ii. कच्ची सामग्री की उपलब्धता में सुधार करना तथा कच्ची सामग्री की लागत में कमी करना:

क. फेरो-निकेल नामक कच्ची सामग्री पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है जिससे यह शुल्क-मुक्त हो गई है।

ख. बजट, 2024 में फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट को 31.03.2026 तक जारी रखा गया है।

ग. स्वदेशी रूप से उत्पादित फेरस स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

घ. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले स्टील ही उपलब्ध कराए जाएं।

(ग) और (घ): इस्पात मंत्रालय ने 'ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान' शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

****